कार्यालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

पत्र सख्याः 155 / दिनांक 13-08-2026

सेवा में,

थाना प्रभारी
दीघा, पटना।

द्वाराः– **वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना।**

विषयः– दीघा थाना कांड संख्या– 573/2026 का आद्यतन वाद दैनिकी समर्पित करने के संबंध में

ऊपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित थाना कांड से उत्पन्न अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2999/2026, 3109/2026 एवं 3410/2026 में वाद दैनिकी पूर्व में समर्पित किया गया है, जो 18.07.2026 तक है। वाद दैनिकी के अवलोकन से यह विदित होता है कि आरंभ यह प्राथमिकी अहपरण के लिए दर्ज किया गया है, जबकि इसमें मृतक पवन कुमार के डुबने के कारण मृत्यु होने का तथ्य आया है।

अतः इस संबंध में यह स्पष्ट करें कि संबंधित प्राथमिकी में आरोपित धाराओं के संशोधन हेतु आवेदन संबंधित न्यायालय में दिया गया है या नहीं। साथ इस वाद की आद्यतन वाद दैनिकी वाद की अगली सुनवाई तिथि 21.08.2026 से पूर्व समर्पित करना सुनिश्चित करें। तद्नुसार उक्त अग्रिम जमानत आवेदन के आवेदकों को प्रदान की गई अंतरिम सुरक्षा आदेश अगली नियत तिथि तक विस्तारित की जाती है।

Sd/-
जिला एवं अपर सत्र
न्यायाधीश–प्रथम–प्रथम, पटना

ज्ञापांक 156 दिनांक 13-08-2026

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–9, पटना को दीघा थाना कांड संख्या 573/2023 का अभिलेख प्रेषित करने के आदेश के साथ प्रेषित किया जाता है।

13/8/26

जिला एवं अपर सत्र
न्यायाधीश–प्रथम–प्रथम, पटना